अध्याय VI: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

6.1 सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना वित्तीय लाभ प्रदान करना

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने पांच स्वायत्त निकायों को वित्त मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त किए बिना अपने वैज्ञानिकों को अतिरिक्त वित्तीय लाभ देने की अनुमति दी और परिणामस्वरूप 2002-18 की अवधि के दौरान ₹2.63 करोड़ का व्यय हुआ। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, मामले को पूर्वव्यापी अनुमोदन हेतु वित्त मंत्रालय को सौंप दिया गया, जिसने मंत्रालय को वित्तीय लाभ वापस लेने की सलाह दी थी।

सामान्य वित्तीय नियम (जी.एफ.आर.) 2005 तथा 2017 के नियम क्रमशः 209(6)(iv)(a) तथा 230(12)(i) के अनुसार, सभी अनुदेयी संस्थाएं या संगठन जो अपने आवर्ती व्यय का पचास प्रतिशत से अधिक अनुदान सहायता के रूप में प्राप्त करती हैं, को सामान्यतया अपने कर्मचारियों की सेवा के नियमों व शर्तों को सामान्यतया निरूपित करना चाहिए, जो कि कुल मिलाकर केन्द्र सरकार के समान श्रेणी के कर्मचारियों से अधिक न हो। असाधारण मामलों में, वित्त मंत्रालय (एम.ओ.एफ.) के परामर्श से छूट दी जा सकती है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एम.ओ.ई.एस.) ने अपने दो स्वायत्त निकायों नामतः भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र, हैदराबाद (आई.एन.सी.ओ.आई.एस.) तथा राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई (एन.आई.ओ.टी.) के लिए दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि तथा पेशेवर अद्यतन भत्ता (पी.यू.ए.)[1] लेने के नियमों एवं विनियमों को अपनाना स्वीकार (मार्च 2004) किया। उस समय, एम.ओ.ई.एस. ने पहले ही अपने अधीन एक अन्य स्वायत्त निकायों अर्थात राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केन्द्र, गोवा (एन.सी.पी.ओ.आर.) को उसी प्रावधान हेतु स्वीकृति दे दी थी।

तदानुसार, आई.एन.सी.ओ.आई.एस., एन.सी.पी.ओ.आर. एवं एन.आई.ओ.टी. ने अपनी शासन परिषद की स्वीकृति से (i) वैज्ञानिकों सी, डी, ई एवं एफ[2] को दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि तथा (ii) सभी नियमित वैज्ञानिकों को 2002-03

---

[1] पेशेवर अद्यतन भत्ता एक प्रोत्साहन राशि है जो परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में कार्यरत वैज्ञानिकों को दिया जाता है ताकि वे अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में स्वयं को नवीनतम विकास के समकक्ष रख सकें।

[2] वेतनमान ₹10,000-15,200, ₹12,000-16,500, ₹14,300-18,300 और ₹16,400-20,400 (सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन से पूर्व लागू वेतनमान)

(आई.एन.सी.ओ.आई.एस.) व 2003-04 (एन.सी.पी.ओ.आर. एवं एन.आई.ओ.टी.) से पेशेवर अद्यतन भत्ते देना आरंभ कर दिया। स्वायत्त निकायों ने ₹18,400-22,400 के वेतनमान के वैज्ञानिकों को ₹2,000 प्रति माह का विशेष वेतन देना भी आरंभ कर दिया। बाद में, एम.ओ.ई.एस. के शेष दो स्वायत्त निकायों, नामतः भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे (आई.आई.टी.एम.) तथा राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केन्द्र, तिरूवनंतपुरम (एन.सी.ई.एस.एस.)[3] ने भी अपने वैज्ञानिकों को अतिरिक्त वित्तीय लाभ देना (2010-11 तथा 2014-15 से) आरंभ कर दिया। 2002-18 की अवधि के दौरान, एम.ओ.ई.एस. के पांचों स्वायत्त निकायों द्वारा वित्तीय लाभ के भुगतान के प्रति ₹2.63 करोड़ व्यय किया गया जैसा कि **तालिका संख्या 1** में दर्शाया गया हैं।

तालिका संख्या 1: एम.ओ.ई.एस. के स्वायत्त निकायों द्वारा दिए गए अतिरिक्त वित्तीय लाभ

(₹ लाख में)

संस्थान का नाम	अतिरिक्त वित्तीय लाभ देने पर व्यय						
	अतिरिक्त वेतन वृद्धि		पेशेवार अद्यतन भत्ते		विशेष वेतन		कुल
	राशि	अवधि	राशि	अवधि	राशि	अवधि	
आई.एन.सी.ओ.आई.एस.	29.52	2002-17	28.02	2002-16	4.76	2002-17	62.30
एन.सी.पी.ओ.आर.	6.47	2003-17	20.29	2003-17	2.02	2003-12	28.78
एन.आई.ओ.टी.	20.48	2003-10	50.40	2003-18*	1.88	2003-10	72.76
आई.आई.टी.एम.[4]	नहीं दिया गया		79.08	2010-18	नहीं दिया गया		79.08
एन.सी.ई.एस.एस.	12.80	2014-18	1.58	2014-18	5.52	2014-18	19.90
कुल	**69.27**		**179.37**		**14.18**		**262.82**

*जून 2017 तक

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एम.ओ.ई.एस. ने उपरोक्त वित्तीय लाभ देने हेतु वित्त मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त नहीं की जैसा कि मौजूदा सरकारी नियमों के तहत अपेक्षित है। आई.एन.सी.ओ.आई.एस., एन.सी.पी.ओ.आर. एवं एन.आई.ओ.टी. ने अंततः वित्तीय लाभ का भुगतान रोक दिया जैसा कि तालिका में दर्शाया गया है।

---

[3] एन.सी.ई.एस.एस. का कार्यभार जनवरी 2014 से एम.ओ.ई.एस. द्वारा केरल सरकार से ले लिया गया था।

[4] आई.आई.टी.एम. ने अपने वैज्ञानिकों को विशेष भत्ते व अतिरिक्त लाभ नहीं दिए।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, एम.ओ.ई.एस. ने पूर्वव्यापी अनुमोदन हेतु मामला एम.ओ.एफ. को भेज (दिसम्बर 2018) दिया। प्रतिक्रिया में, एम.ओ.एफ. ने एम.ओ.ई.एस. को वित्तीय लाभ तुरंत वापस लेने की सलाह (फरवरी 2019) दी। एम.ओ.ई.एस. ने कहा (जून 2019) कि स्वायत्त निकायों को वित्तीय लाभ के कारण दिए गए भुगतान की वसूली के निर्देश दे दिए गए थे।